[This question paper contains 12 printed pages.]

3439 *Your Roll No.* .....

LL.B. / V Term **BS**

Paper LB-501 – CIVIL PROCEDURE

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

Answer any **Five** *questions.*
All *questions carry equal marks.*

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (a) When a suit has been Decreed against a minor who is duly represented by a Guardian, the said decree is binding on him as much as on an adult whether the said decree will operate as Res-judicata against the said minor in subsequent proceedings. Explain and decide the same with the help of the statutory provision of order XXXII of the Code of Civil Procedure, 1908. (10)

P.T.O.

(b) One suit was filed by the appellant in 1986 for the confirmation of possession and permanent injunction restraining the original owner from dispossessing him and from creating 3rd party interest in the suit property with a liberty to file another suit for getting Regd. deed in his favour by the said original owner on the basis of the Agreement to sell dated : 11.2.1986 alongwith the Receipt of payment of 45,000 out of total sale consideration of Rs. 46,000/- by the issued/ Executed by the said original owner. That, during the pendency of the said suit, in order defeat the legitimate right of the Appellant in the suit property, the said original owner Executed a Regd deed in favour of the 3rd party namely USHA RANI BANIK. That the Appellant filed another suit for specific performance of the Agreement to sell and for the execution of proper sale deed in respect of the suit property. After the filling of the First suit of 1985. However, He also filed a suit for cancellation of sale deed against the 3rd party, which was decreed in his favour by the concerned court of law and finally affirmed by the Highcourt in the second appeal. Thereafter, a Review application was filed by the original owner and the same was allowed by the High Court with an observation that the suit for specific performance of the Agreement to sell in respect of the suit

property is hit by 0.2R-2 of Code of Civil Procedure, 1908 as no leave was obtained by the appellant in the First suit. Decide and explain the same in the light of the case law titled as Haridas Vrs Smt. USHA RANI BANIK 2006(3) SCALE 287. (10)

(क) जब कोई वाद उस अवयस्क के विरूद्ध डिक्रीत हो चुका है जिसका सम्यक प्रतिनिधित्व संरक्षक द्वारा किया गया है तब उक्त डिक्री उस पर उतनी ही बाध्य कर है जितनी वयस्क पर होती है। क्या उक्त डिक्री पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में उक्त अवयस्क के विरूद्ध पूर्वन्याय के रूप प्रवर्तित होगी ? स्पष्ट कीजिए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXII के कानूनी उपबन्ध की सहायता से उसका विनिश्चय कीजिए।

(ख) अपीलार्थी ने 1986 में कब्जे की पुष्टि के लिए तथा मूल स्वामी को वादगत सम्पत्ति को बेचने तथा उसमें अन्य पक्षकार का हित सृजित करने से अवरूद्ध करते हुए स्थायी व्यादेश के लिए तथा ऐसी स्वतंत्रता दिए जाने के लिए एक वाद फाइल किया कि वह कथित मूल स्वामी से 11.2.1986 के विक्रय-करार के आधार पर अपने पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख और 46000/- रु. के कुल प्रतिफल में से 45000/- रु. के संदाय की उक्त मूल स्वामी द्वारा निर्गत। निष्पादित रसीद प्राप्त करने के लिए अन्य वाद फाइल कर सके। उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान वादगत सम्पत्ति में अपीलार्थी के विधिसम्मत अधिकार को निष्फल करने के लिए उक्त मूल स्वामी ने अन्य पक्षकार - उषारानी बनिक के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख

P.T.O.

निष्पादित कर दिया। अपीलार्थी ने विक्रय हेतु करार के विनिर्दिष्ट पालन हेतु और वादगत सम्पत्ति के बारे में उचित विक्रय-विलेख के निष्पादन हेतु 1985 के प्रथम वाद के फाइल किए जाने के बाद अन्य वाद फाइल किया। मगर उसने अन्य पक्षकार के विरूद्ध विक्रय-विलेख के रद्दकरण हेतु भी एक वाद फाइल किया जो सम्बद्ध न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में डिक्रीत किया गया था तथा अन्ततः द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया। तत्पश्चात् मूल स्वामी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी फाइल की गई जिसे उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ अनुमत किया कि वादगत सम्पत्ति के बारे में विक्रय करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2, नियम 2 के विरूद्ध है क्योंकि प्रथम वाद में अपीलार्थी द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। विनिश्चय कीजिए तथा *हरिदास* बनाम *श्रीमती उषारानी बनिक* 2006 (3) एस सी ए एल ई 287 शीर्षक वाली निर्णयविधि को ध्यान रखते हुए उसकी व्याख्या कीजिए।

2. (a) Where in a suit for specific performance an issue arises – whether the plaintiff is an agriculturist or not, would the civil court have the jurisdiction to decide the issue or the civil court would have to safer the issue, under section 85A of the tenancy Act, to the Authority constituted under the said Act. Discuss and decide the same with the help of the relevant/Appropriate statutory provision of the code of Civil procedure supported by the relevant judicial precedents. (10)

(b) The suit having been instituted by one of the partner of the dissolved firm, the mere specification of the capacity in which the suit was filed, could not change the character of the suit. Discuss and explain the same alongwith the guiding principles which should be kept in mind by the court of civil judicature while dispossing off the Application Under Order VI Rule 17 of Code of Civil Procedure, 1908. (10)

(क) जब विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद में एक विवाद्यक उद्भूत हो जाता है - क्या वादी कृषक है या नहीं - क्या सिविल न्यायालय के पास इस विवाद्यक को विनिश्चित करने की अधिकारिता है या सिविल न्यायालय को इस विवाद्यक को अभिधृत्ति अधिनियम की धारा 85A के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्राधिकरण को निर्दिष्ट करना होगा इसका विवेचन कीजिए और इसको समझौते/सिविल प्रक्रिया संहिता के समुचित कानूनी उपबन्ध की सहायता से तथा सुसंगत न्यायिक पूर्वनिर्णयों से पुष्ट करते हुए विनिश्चित कीजिए।

(ख) विघटित फर्म के एक भागीदार द्वारा संस्थित वाद में उस क्षमता का विनिर्देश मात्र जिसमें वाद फाइल किया गया था, वाद की प्रकृति को नहीं बदल सकता। विवेचन कीजिए तथा उन दिशानिर्देशी सिद्धान्तों के साथ उनकी व्याख्या कीजिए जिनको सिविल न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 17 के अन्तर्गत अर्जी का निपटारा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

P.T.O.

3. (a) The General rule is that an appellate court should decide an appeal on the evidence led by the parties to the lis before the court of First instance (trial court) and should not admit additional evidence for the purpose of disposal of the appeal. Explain the same with the help of the relevant statutory provisions and the case laws. (10)

(b) The legislative intent is clear as it never wanted second appeal to become a "THIRD TRIAL ON FACTS" or one mere dice in the gamble". Discuss and explain the same with the help of the Relevant statutory provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 supported by some judicial precedents. (10)

(क) साधारण नियम यह है कि अपीलीय न्यायालय को अपील को पक्षकारों द्वारा प्रथम बार के न्यायालय (विचारण न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विनिश्चित करना चाहिए तथा अपील के निपटारे के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसकी सुसंगत कानूनी उपबन्धों और निर्णय विधि की सहायता से व्याख्या करनी चाहिए।

(ख) विधानमंडल का आशय स्पष्ट होता है क्योंकि वह द्वितीय अपील को "तथ्यों का तीसरा विचारण अथवा जुआ में एक ओर पासा" नहीं बनाना चाहता है। विवेचन कीजिए तथा उसकी कुछ न्यायिक पूर्वनिर्णयों से पुष्ट हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत कानूनी उपबन्धों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

4. (a) Where two cross suit are instituted by two parties, one for the nullity of marriage and the other for dissolution of marriage, the suit relating to nullity of marriage should be tried first. Give your advice supported by the relevant statutory provisions of law. (10)

(b) The words "Might" and "ought" used in the Explanation IV to section 11 have the wider amplitude and the Parties to the suit must raise all the conceivable pleas in the former suit to same the party from being vexed again on the same cause of action. Discuss and explain the same in the light of the relevant case laws. (10)

(क) जब दो पक्षकारों द्वारा दो प्रतीप वाद संस्थित किए हैं जिनमें से एक विवाह-अकृतता के लिए है तथा दूसरा विवाह के विघटन के लिए है तब विवाह की अकृतता सम्बन्धी वाद का विचारण पहले होना चाहिए। अपनी सलाह दीजिए जो विधि के सुसंगत कानूनी उपबन्धों से पुष्ट हो।

(ख) धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में प्रयुक्त शब्द "Might" और "Ought" का व्यापक अर्थ विस्तार होता है तथा वाद के पक्षकारों को उसी वाद हेतुक पर पक्षकार को पुनः तंग होने से बचाने के लिए पूर्ववर्ती वाद में सभी मनोगम्य अभिकथनों को उठाना चाहिए। विवेचन कीजिए तथा सुसंगत निर्णयविधि को ध्यान में रखते हुए उसकी व्याख्या कीजिए।

P.T.O.

5. (a) What do you mean by the Phrase "Triable Issues". Explain the same with the help of the relevant statutory provisions and the settled case laws. (10)

(b) One Sanjay Rathi, the Respondent, filed an election petition U/section 100 of Representation of the people set against the person namely Devinder and two others for setting aside his (Devinder) election. The proceedings commenced at Kotah and offer some Hearings, the tribunal made an order on 11.12.2010 that the subsequent sittings would at Udaipur from 16th to 21st March 2010. Later on instead of 16th, the dates were re-fixed for 17th to 21th March, 2010 as there was a public Holiday on 16/3/2010 and the same was duly notified to both the parties. On 17th, the appellant did not appear nor his counsel and the tribunal proceeded Exparte after waiting till 1:45 p.m. However, on 20th one of the counsel out three namely Sh. Atul Sharma appeared on behalf of the Appellant but he was not allowed to take part in any of the proceedings. What will be your advice to the Aggrieved appellant and Decide the same supported by the relevant case laws. (10)

(क) "विचारणीय विवाद्यक" वाक्यांश से आपका क्या अभिप्राय है। उसकी व्याख्या सुसंगत कानूनी उपबन्धों तथा परिनिर्धारित निर्णय विधियों की सहायता से कीजिए।

(ख) किसी प्रत्यर्थी संजय राठी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत देविन्दर नामक व्यक्ति तथा दो अन्य के विरूद्ध उसके (देविन्दर के) निर्वाचन को अपास्त करने हेतु चुनाव याचिका फाइल की।

कार्यवाहियाँ कोटा में शुरू हुईं तथा कुछ सुनवाइयों के बाद अधिकरण ने 11.12.2010 को आदेश दिया कि बाद की सुनवाइयां 16 से 21 मार्च, 2010 तक उदयपुर में की जाएगी। बाद में 16 मार्च की बजाय तारीखें 17 से 21 मार्च 2010 तक पुन: तय की गई क्योंकि 16/3/2010 को सार्वजनिक अवकाश था तथा इस तथ्य को दोनों पक्षकारों को सम्यक रूप मे अधिसूचित कर दिया गया था। 17 तारीख को न तो अपीलार्थी हाज़िर हुआ और न ही उसका वकील। अधिकरण ने 1.45 बजे अपराह्न तक प्रतीक्षा करने के बाद एकपक्षीय कार्यवाही शुरू कर दी। मगर 20 तारीख को तीन में वकीलों में से एक श्री अतुल शर्मा नामक वकील अपीलार्थी की ओर से हाजिर हुआ। किन्तु उसे किसी भी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। व्यथित अपीलार्थी को आप क्या सलाह देंगे। उसका विनिश्चय सुसंगत निर्णय-विधियों से पुष्ट करते हुए कीजिए।

6. (a) What do you mean by "spittling of claims". Define the same with relevant provision of the Code of Civil Procedure, 1908 and give some illustration in this regard. (10)

P.T.O.

(b) Can court award the mesue profits by way of Decree without conducting inquiry in the course of the civil proceedings in favour of the decree holder. What will be your answer as per clause 12 of Section–2 of the Code of Civil Procedure, 1908. (5)

(c) When a foreign judgement becomes conclusive as per Section 13 of the Code of 1908. (5)

(क) दावों के विखंडन से आपका क्या अभिप्राय है ? उसकी परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत उपबन्ध सहित तथा इस बारे में कुछ उदाहरण देते हुए कीजिए।

(ख) क्या न्यायालय डिक्रीधारी के पक्ष में सिविल कार्यवाहियों के अनुक्रम में जांच किए बिना डिक्री के रूप में अन्त: कालीन लाभ प्रदान कर सकता है ?, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-2 के खंड 12 के अनुसार आपका उत्तर क्या होगा ?

(ग) 1908 की संहिता की धारा 13 के अनुसार कोई विदेशी निर्णय कब निश्चायक बन जाता है ?

7. There is a difference of opinion b/w various High Courts regarding the application of the provisions of Order XXXIX of the Code of Civil Procedure, 1908. One view is that a court can not issue an order of temporary injunction if the circumstances do not fall with the provision of order XXXIX (39) of the Code.

Another view is that a court can issue an interim injunction under the circumstances which are not covered by the order XXXIX of the Code.

Which view is the correct proposition of law for the applicability of the abovesaid provision of the code. Examine and discuss the same with the help of the relevant judicial precedents. (20)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX के उपबन्धों के अनुप्रयोग के सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मत-वैभिन्य रहता है। एक राय यह है कि यदि परिस्थितियां संहिता के आदेश XXXIX (39) के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश का आदेश जारी नहीं कर सकता है। अन्य राय यह है कि न्यायालय उन परिस्थितियों के अन्तर्गत अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है जो संहिता के आदेश XXXIX के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

संहिता के उपर्युक्त उपबन्ध की अनुप्रयोज्यता हेतु कौन सी राय विधि की सही प्रतिपादना है ? जांच कीजिए तथा सुसंगत न्यायिक पूर्वनिर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए।

8. Attempt any **Four** of the following :

(a) Distinguish between Decree and order (5)

(b) Power to transfer of suits (5)

(c) Can an Indigent person institute a suit without paying court fees with the leave of the concerned court of law. Explain and advise. (5)

P.T.O.

(d) An order, Decree or judgement even passed and pronounced can be Amended by the Concerned Court of law in order to carryout its own intention and Express the meaning of the court when the said order, decree or judgement was made. Explain the same briefly as per section 152 of the Code of Civil Procedure. (5)

(e) Anil Kaushik, residing in Sonipat, Haryana publishes defamatory statements against Sandeep in Delhi. At what place Sandeep may sue Anil Kaushik ? (5)

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए :

(क) डिक्री तथा आदेश के बीच के भेद को स्पष्ट कीजिए।

(ख) वादों के अन्तरण की शक्ति।

(ग) क्या कोई निर्धन व्यक्ति सम्बन्धित न्यायालय की अनुमति से न्यायालय शुल्क दिए बिना वाद संस्थित कर सकता है ?

(घ) जब कोई आदेश, डिक्री या निर्णय किया गया था न्यायालय तबके अपने स्वयं के आशय को आगे बढ़ाने तथा अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय आदेश, डिक्री या निर्णय के पारित तथा उद्घोषित हो जाने पर भी उसमें संशोधन कर सकता है। संक्षेप में इसकी व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अनुसार कीजिए।

(ङ) सोनीपत, हरियाणा के निवासी अनिल कौशिक ने दिल्ली में सन्दीप के विरूद्ध मानहानिकर वक्तव्य प्रकाशित किए। सन्दीप किस स्थान पर अनिल कौशिक के विरूद्ध वाद ला सकता है ?